



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2013/माघ 18, 1934

No. 311]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2013/MAGHA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 335(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999, द्वारा वर्तमान में बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 46.000 कि.मी. से 398.750 कि.मी. (उत्तरप्रदेश / बिहार सीमा से बरवाअड्डा सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है ;

और, यत : केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क - सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7, राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए, निम्नानुसार, यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था ;

- (i) बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर 180.000 कि.मी से 240.000 कि.मी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 2840 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर 2012 द्वारा
- (ii) वर्तमान में बिहार और झारखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 240.000 कि.मी. से 320.000 कि.मी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 2672 (अ), दिनांक 2 नवम्बर 2012 द्वारा

(iii) झारखंड राज्य में 1 पर 320.000 कि.मी से 398.750 कि.मी तक के खण्ड हेतु का.आ.सं. 1936 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2012 द्वारा

और, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मेसर्स ए बी एक्सप्रेसवे लिमिटेड, 30 मार्च, 2012 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय डोर नम्बर 1-80/40/एसपी/ 58-65, शिल्पा होम्स लेआउट, गाचीबाउली, हैदराबाद - 500032, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर बिहार और झारखंड राज्यों में बिहार और झारखंड राज्यों में 180.000 कि.मी से 398.750 कि.मी तक औरंगाबाद - बरवा अड्डा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् " उक्त खण्ड " कहा गया है) के छह लेन में विकास के लिए एक करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है) ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि.. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी 2011 तथा सा.का.नि..756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2840 (अ), तारीख 06.12.2012, का.आ.2672(अ), तारीख 02.11.2012, और का.आ.सं 1936 (अ), तारीख 22.08.2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हो या करने से लोप करा दी गई, उक्त खंड के निर्माण, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर " कहा गया है) और 10 करोड़ या अधिक की लागत वाले बाइपासों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसा कि करार में निर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या मिट्टी खोदने के उपकरण(इएमइ) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी)(चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति यात्रा रुपये में)

स्थायी पुल, या सुरंग की लागत(करोड़ रु. में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बड़े आकार वाले वाहन
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6

टिप्पणी :-

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

(क) निर्माण अवधि के दौरान

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाईन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में)जिसके लिए शुल्क संदेय है
200.100 कि.मी., बिहार राज्य में गया जिले में गांव सावकला के पास	60.000 कि.मी.
279.425 कि.मी., झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में रसोइया धम्मा गांव के पास	80.000 कि.मी.
346.100 कि.मी. झारखंड राज्य में गिरीडीह जिले में घंघरी गांव के पास	78.750 कि.मी.

(ख) छ : लेन का पूरा कर लिए जाने के पश्चात् :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाईन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में)जिसके लिए शुल्क संदेय है
200.080 कि.मी., बिहार राज्य में गया जिले में गांव सावकला के पास	57.106 कि.मी.
278.925 कि.मी., झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में रसोइया धम्मा गांव के पास	78.620 कि.मी.

391.600 कि.मी. (विद्यमान) (इस टोल प्लाजा को 345.350 कि.मी. डिजाइन चैनेज पर फिर से अवस्थित किए जाने का प्रस्ताव है) झारखंड राज्य में गिरीडीह जिले में गांव बेको के पास	73.636 कि.मी.
---	---------------

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान - विद्यमान (डिजाइन) चैनेज	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
200.080 कि.मी., बिहार राज्य में गया जिले में गांव सावकला के पास	2.894 कि.मी लम्बा मदनपुर बाइपास
345.350 कि.मी., झारखंड राज्य में गिरीडीह जिले में गांव बेको के पास	4.956 कि.मी. लम्बा बगोधर बाइपास
	2.754 कि.मी. लम्बा राजगंज बाइपास

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/ संरचना (संरचनाओं), जिनकी लागत नीचे निर्दिष्ट की गई है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) (बाइपास के पूरा हो जाने के पश्चात्) पर शोध और संदेय होगा :

पथकर प्लाजा (प्लाजाओं) का स्थान (चैनेज)	पुल/ संरचना, की लम्बाई(कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)
278.925 कि.मी , झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में गांव रसोइया धम्मा के पास	263.930 कि.मी. पर 1.380 कि.मी का फ्लाईओवर	58.65 करोड़

4. जहां कहीं क्रमशः 50 करोड़ रुपए या अधिक और 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले पुलों एवं बाइपासों का संबंध है, जैसा कि ऊपर टिप्पणी 2 और 3 में निर्दिष्ट किया गया है, उदग्रहीत शुल्क ऐसे बाइपासों एवं संरचनाओं के पूरा हो जाने के बाद ही शोध और संदेय होगा।

5. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. के भीतर रहता हो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

6. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे, अर्थात् :-

संदेय शुल्क	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
-------------	---	---------------------

एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की दिनांक से एक माह

7. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क मार्ग उपलब्ध न हो ।

8. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

9. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

11. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा उल्लेखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर संशोधन किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि छह महीने के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और उसे तदनुसार, कम-से-कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भारराप्रा/13013/718/12-13/सीओ/जीसी धनबाद (180.00-398.75) बी ओ टी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

514 46/13-2

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 335(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 46.000 to kilometer 398.750 (Uttar Pradesh/Bihar border to Barwa Adda Section) of National Highways Number - 2 presently in the States of Bihar and Jharkhand, to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways (Fees for the Use of National Highways Section and Permanent Bridge - Public Funded Project) Rules, 1997, National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997 and National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows :

- (i) Vide S.O. No. 2840 (E) dated 6th December, 2012 for the stretch from km. 180.000 to km. 240.000 on National Highway No. 2 in the State of Bihar.
- (ii) Vide S.O. No. 2672 (E) dated 2nd November, 2012 for the stretch from km. 240.000 to km. 320.000 on National Highway No. 2 presently in the States of Bihar and Jharkhand.
- (iii) Vide S.O. No. 1936 (E) dated 22nd August, 2012 for the stretch from km. 320.000 to km 398.750 on National Highway No. 2 in the State of Jharkhand.

And whereas, pursuant to the provision of section-14 of the National Highways Authority of India Act (68 of 1988) the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with M/s A B Expressway Ltd., having its registered office at Door No. 1-80/40/SP/58-65, Shilpa Homes Layout, Gachibowli, Hyderabad – 500 032, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 30th March, 2012 for the development of six laning of Aurangabad – Barwa Adda Section from kilometer 180.000 to kilometer 398.750 of NH-2 (hereinafter referred to as the “said section”) in the states of Bihar and Jharkhand on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. 756 (E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the “Rules”), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 2840(E) dated 06.12.2012, S.O. 2672(E) dated 02.11.2012 and S.O. 1936(E) dated 22.08.2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on

mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No. 2 for bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more and at one and half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

TABLE 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in Crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	Three-axle commercial vehicles	HCM, EME or MAV	Oversize Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6

514 9/13-3

Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

A. During Construction Period:

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km 200.100 near village Sawkala in Gaya district in the state of Bihar	60.000 Km
Km 279.425 near village Rasoiya Dhamna in Hazaribagh district in the state of Jharkhand	80.000 Km
Km 346.100 near village Ghanghri in Giridih district in the state of Jharkhand	78.750 Km

B. After completion of six laning:

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) for which Fee is payable
Km 200.080 near village Sawkala in Gaya district in the state of Bihar	57.106 km
Km 278.925 near village Rasoiya Dhamna in Hazaribagh district in the state of Jharkhand	78.620 km
Km 391.600 (existing) (the toll plaza is proposed to be relocated to design chainage at Km 345.350) near village Beko in Giridih District in the state of Jharkhand	73.636 Km

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following toll plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such toll plaza(s) (after completion of Bypass):

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional Fee is payable
Km 200.080 near village Sawkala in Gaya district in the state of Bihar	Madanpur bypass of 2.894 km length.
Km 345.350 near village Beko in Giridih District in the state of Jharkhand	Bagodhar bypass of 4.956 km length
	Rajgunj bypass of 2.754 km length.

3. In addition to above, following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s) (after completion of Bypass):

Location of Toll Plaza(s) Existing (Design) Chainage	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 278.925 near village Rasoiya Dhamna in Hazaribagh district in the state of Jharkhand	Flyover of 1.380 km length at km 263.930	58.65 cr.

4. As regards bridges & bypasses costing Rs. Fifty crore or more and costing Rs. 10 crore or more respectively as specified in note 2 & 3 above, the fee levied shall be due and payable only after completion of such bypasses & structures.
5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or ~~alternative road is available for use of~~ such commercial vehicles.
8. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and ~~shall not be entitled to make use of the~~ highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
9. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, ~~alternative road etc. shall be as per definitions~~ specified in the Rules.
10. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
11. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/718/12-13/CO/GC-Dhanbad (180.00-398.75)BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.